



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590 / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/DRG/LST-49 CHG05026

दिनांक -23.02.2022

प्रेषित- Shri Prakash Chandra Sahu,
Quarter no. 108, Street No. 37,
Sector- 4, At & PO. Bhilai, District- Durg,
Chhattisgarh, pin- 490023, email- prakashchandrasahu75@gmail.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी साहेगओ पथरिया चुना खदान (5.93 ha). में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 04.02.2022 को श्री Santosh Kumar Singh, Mining Engineer की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45(5) (c)	(i) Information on land area utilization is furnished incorrectly. (ii) Quantity of mineral reserves is furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021 (iii) Information of fixed assets on capital structure is furnished incorrectly.
46(a)	Notice of appointment of Mining Engineer is not submitted

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर्याप्तरूप में बर्सिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **26 (2) एवं 46(a)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(c)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके

सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर